

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया

आदेश

प्रार्थी के खाता "दुरुस्ती प्रार्थना" पत्र एवं पटवार हल्का संगरिया व तहसीलदार संगरिया एवं अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड प्रथम हनुमानगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में चक 3 एनटीडब्ल्यू की समाबन्दी सम्वत 2072-75 में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:-

क्र.सं.	चक व खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	चक 3 एनटीडब्ल्यू खाता संख्या 76/36 ज.स. 2072-2075	प.न. 182/170 मु.न. 30 किला नं. 25/2/0.025 है. गै.मु. खाला	प.न. 182/170 मु.न. 30 किला नं. 25/2/0.025 है. गै.मु. रास्ता

नोट :-शेष प्रविष्टि यथावत रहेगी।

(राकेश कुमार मीता)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

दिनांक :- 29.8.2024

क्र.सं. :- सम/302

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. तहसीलदार संगरिया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थीतहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया